पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/DMA/113

Changing Ways

बदलती राहें

(साप्ताहिक)

❑ वर्ष 01 ❑ अंक 13 ❑ पृष्ठ : 04 ❑ मूल्य : 4 रुपये | धर्मशाला, 06 जून 2016 | हर सोमवार को प्रकाशित

तो क्या ऐसे सुधरेगा सरकारी स्कूलों का स्तर

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर को देख कर सभी अचंभित हैं। सरकारी स्कूलों में आलिशान भवन, हर स्तर की सुविधाएं और विद्यार्थियों को सरकार ने अनेक प्रकार की रियायतें दे रखी हैं। इसके बावजूद शिक्षा के ये आलिशान भवन खाली होते जा रहे हैं। जहां बच्चों की संख्या पर्याप्त है वहां स्कूली शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। साधारण हिमाचली से लेकर सरकार तक यह सोचने को विवश है कि वे कौन से कारण हैं, जिनसे सरकारी स्कूलों की शिक्षा का बुरा हाल हो रहा है। अगर इन कारणों पर सोच विचार किया जाए तो इस स्थिति के पीछे कोई एक नहीं बल्कि सरकार, शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और खुद छात्र एक समान भागीदार हैं। अब वक्त आ गया है कि सुधारात्मक कदम बिना किसी देरी से उठाए जाने चाहिए। सरकार ने स्कूलों पर नजर रखने के लिए निरीक्षण निदेशालय बनाकर पहल कर दी है, मगर सिर्फ डंडा चलाकर न तो कोई सुधरा है और न ही सुधरने की गारंटी है। लिहाजा ऐसे हालात तो आत्मविवेचन और आपसी तालमेल के जरिये ही सुधर सकते हैं।

यह बात हर कोई जानता है कि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी समस्या प्रभावी तबादला नीति का ना होना। वहीं, शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों में झोंके रखना, खुद शिक्षकों की यूनियनबाजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का उन पर ध्यान न देना सरकारी शिक्षा के गिरते स्तर के बड़े कारण हैं। अब सवाल यह है कि कारण ज्ञात होने के बावजूद इनका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा, तो यही जवाब मिलता है कि शिक्षा में राजनीति के चलते कुछ नहीं हो पा रहा है। यह बात सच भी है कि शिक्षक अपना अधिकतर समय या तो थोपे गए गैर शिक्षण कार्यों में गंवा देते हैं और रही सही कसर यूनियनबाजी व तबादलों के चक्कर में पूरी हो जाती है।

हाल ही में हिप्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड के जमा दो व मैट्रिक के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की दुर्दशा की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि यह कोई एकदम नहीं हुआ है। पहले भी खराब रिजल्ट आते रहे हैं। हर बार सरकार शिक्षकों की खिंचने की तैयारी करती है। अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, मगर बाद में नतीजा वही ढाक के दो पात निकलता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। सरकार ने कई कड़े आदेश जारी किए हैं। शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटका दी गई है। ऐसे कार्रवाइयों पर हर किसी को संदेह है। सब यही सोचते हैं कि सरकार के घड़ियाली आंसू जल्द ही सूख जाएंगे और व्यवस्था दोबारा उसी राह पर होगी।

अब सरकार ने खराब रिजल्ट आने के बाद काफी संख्या में शिक्षकों के तबादले किए हैं और सैकड़ों शिक्षकों को खराब रिजल्ट के लिए नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है। सरकार की इस कार्रवाई से टीचरों में हड़कंप तो मचा है, मगर सवाल अभी भी वही है कि क्या इससे टीचरों में सुधार होगा, क्योंकि इस तरह के कदम तो पहले भी कई बार उठाए गए हैं मगर नतीजा कोई नहीं मिला।

बदले 103 प्रिंसिपल

खराब रिजल्ट को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 103 स्कूल प्रिंसिपलों के तबादले कर दिए हैं। दसवीं और जमा दो कक्षा का परिणाम निकलने के बाद सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। खराब रिजल्ट को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 103 स्कूल प्रिंसिपलों के तबादले कर दिए हैं।

तबादला आदेश जारी करने के साथ 15 दिन में प्रिंसिपलों को नए स्कूल में ज्वाइनिंग देने की मोहलत दी है। सरकार ने प्रिंसिपलों की कमी से जूझ रहे 382 स्कूलों का 265 हेडमास्टरों और 113 लेक्चररों को प्रिंसिपल का कार्यकारी कार्यभार सौंपा है।

274 शिक्षकों को नोटिस

खराब रिजल्ट देने वाले दसवीं और जमा दो कक्षा के 274 शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने सब्जेक्ट टीचरों से खराब रिजल्ट आने का कारण पूछा है। प्रिंसिपलों से भी जवाबतलबी की है। स्पेशल मैसेंजर के माध्यम से जिला उपनिदेशकों से चार जून तक रिपोर्ट तलब की है। नौ जून को सरकार ने सचिवालय में जिला उपनिदेशकों की समीक्षा बैठक बुलाई है। शिक्षकों के जवाब की रिपोर्ट को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। संयुक्त सचिव शिक्षा ने जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर सब्जेक्ट टीचरों से खराब रिजल्ट देने का कारण पूछने को कहा है। स्कूल प्रिंसिपल और उपनिदेशकों को भी अपने कमेंट्स करने को कहा है।

खराब रिजल्ट की जानकारी वेबसाइट पर

उच्च शिक्षा निदेशालय ने विभाग की वेबसाइट पर 25 प्रतिशत से कम विषयवार परिणाम देने वाले दसवीं के 166 स्कूलों और जमा दो के 108 स्कूलों की सूची अपलोड की है। सूची में विभिन्न विषयों में शून्य से लेकर 25 प्रतिशत तक परिणाम देने वाले स्कूलों के नाम, कुल बच्चों और पास, फेल होने वाले बच्चों की संख्या का ब्योरा दिया गया है।

जमा दो में अंग्रेजी, बिजनेस स्टडीज, राजनीति शास्त्र, बायोलॉजी, अकाउंट्स, केमिस्ट्री, इकोनामिक्स, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, फिलॉसफी और सोशोलॉजी विषय में 108 स्कूलों का परिणाम 25 प्रतिशत से कम है। दसवीं में 166 स्कूलों का मैथ, साइंस, कला, पंजाबी, कृषि, म्यूजिक वोकल, हिंदी, कंप्यूटर, अंग्रेजी, टूरिज्म और समाजशास्त्र में वार्षिक परिणाम 25 प्रतिशत से कम है।

550 सरप्लस प्रारंभिक शिक्षक ट्रांसफर

प्रदेश के छह जिलों के प्राथमिक स्कूलों में तैनात 550 सरप्लस शिक्षकों के तबादला आदेश जारी हो गए हैं।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिमला, किन्नौर, सोलन, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिले में युक्तिकरण कर दिया है। छात्रों की संख्या के अनुपात से शिक्षकों की तैनाती की गई है। सरप्लस शिक्षकों को स्टाफ की कमी से जूझ रहे स्कूलों में स्थानांतरित किया है।

शहरी इलाकों से भी शिक्षकों का तबादला

शहरी इलाकों के स्कूलों में डटे सरप्लस शिक्षकों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इससे पूर्व बिलासपुर, ऊना, कुल्लू, चंबा और हमीरपुर जिलों में अप्रैल में युक्तिकरण हो चुका है। इन जिलों से भी करीब 550 सरप्लस शिक्षकों को अन्य स्कूलों में तब्दील किया गया है। ये टीचर लंबे अरसे से अपने प्रभाव के चलते यहां डटे हुए थे।

इनमें सोलन जिला से 63, मंडी जिला 145, सिरमौर जिला से 106, किन्नौर जिला से 21 और शिमला जिला से 110 सरप्लस शिक्षकों को बदला गया है। वहीं जिला कांगड़ा के 3522 शिक्षकों में से 192 शिक्षक सरप्लस पाए गए हैं। इनमें से 106 बदल दिया गया है। बाकी 86 बाद में बदले जाएंगे।

राजनीति-तबादले खत्म हों तो बने बात

■ अध्यापकों के गैर शैक्षणिक कार्य बंद करने की जरूरत

■ अभिभावकों को भी देना होगा पर्याप्त समय

बीआर राही

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और स्वयं शिक्षक नेता रह चुके बीआर राही से मौजूदा स्थिति के बारे में बात की गई तो उन्होंने खुद सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर चिंता जताई है। उन्होंने मौजूदा स्थिति के लिए स्कूली समारोहों में हो रहे राजनीतिक भाषणों, शिक्षकों के तबादलों व गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझने और अभिभावकों द्वारा बच्चों पर ध्यान न दिए जाने को खराब रिजल्ट का मुख्य कारण बताया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, जब सरकार को अध्यापकों की समस्याओं का खुद संज्ञान लेकर उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि यह बात सबसे अहम है कि स्कूलों में पढ़ाई के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार हो, समय पर पुस्तकें उपलब्ध हों, पर्याप्त अध्यापक हों और अभिभावकों से अध्यापकों का सीधा संपर्क हो। उन्होंने कहा कि स्कूलों पर नजर रखने के लिए निरीक्षण निदेशालय खोलकर इंस्पेक्टरों की तैनाती करने का प्रयास अच्छा है, मगर हर वक्त कार्रवाई का भय दिखाकर भी काम नहीं चलेगा। लिहाजा सबसे पहले सरकार को अध्यापकों से लिए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों को बंद करना होगा। राही ने कहा कि राजनेताओं को स्कूलों के कार्यक्रमों में जाकर राजनीतिक भाषण देना भी बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि स्कूली समारोहों के दौरान अक्सर देखा गया है कि राजनेता स्कूली बच्चों के सामने सरेआम शिक्षकों के बारे में अनुचित भाषा का उपयोग करते हैं, जो गलत है। सरकार को शिक्षकों की तबादला नीति पर भी विचार करना होगा, ताकि शिक्षकों का ध्यान तबादलों में ही न फंसा रहे। अध्यापकों को समय-समय पर रिफ्रेशिंग कोर्स करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि खासकर अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजकर खुद रोजी-रोटी कमाने में ही न लगे रहें। बच्चों को स्कूल के बाद घर में भी शिक्षा का माहौल चाहिए होता है। लिहाजा अभिभावक बच्चों को पढ़ाने या उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए भी अपना समय दें। इन सभी प्रयासों से ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधर सकता है।

सर्टिफिकेट कोर्स हेतु नामांकन आवेदन पत्र

सर्टिफिकेट कोर्स हेतु 'गुंजन' संस्था द्वारा संचालित क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, नार्थ-II, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभिन्न एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के तकनीकी सहयोग द्वारा तीन माह (2 घंटे प्रतिदिन) के ट्रेनिंग कार्यक्रम हेतु नामांकन/आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

Course Title	Duration	Eligibility	No. of Seats	Course Fee
Certificate Course in Radio Jockey & Anchoring	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 6000/-
Certificate Course in Front Office Executive	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 4500/-
Certificate Course in Website Designing	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 7500/-
Certificate Course in Graphic Designing	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 7500/-
Certificate Course in Entrepreneurship Development	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 9000/-
Certificate Course in Restaurant Service Staff	3 Months	10th or Equivalent	25	Rs 4500/-

चयन '**पहले आओ पहले पाओ**' के आधार पर होगा। नामांकन/आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 जून, 2016 है। पाठ्यक्रम तथा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे ऑफिस से कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

❑ नशे से पीड़ित व्यक्ति व उसके परिजन/आश्रित एचआईवी संक्रमित व्यक्ति व उसके परिजन/आश्रित जोखिम पूर्ण व्यवहार के व्यक्ति/उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के आश्रित एवं दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं कोर्स फीस में भी रियायत दी जाएगी।

संपर्क व्यक्ति अजय कुमार (01892-235313, 9459082624)

आवेदन पत्र/नामांकन कार्यकारी निदेशक, गुंजन ऑर्गेनाईजेशन सामुदायिक विकास, तपोवन रोड, सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176057, फोन नं. 01892-235315, 9459082624 के पास भेजे जा सकते हैं।

स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट कानून की दरकार

स्मार्ट सिटी में सृजित होने वाले नागरिक डेटा की सुरक्षा के लिए मौजूदा आईटी कानून पर्याप्त नहीं होंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के आईटी प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध गतिविधियों की निगरानी करने की भी जरूरत होगी। स्मार्ट सिटी इको सिस्टम में इस प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए उचित वैधानिक ढांचा तैयार करने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति पर अमल करता है। पूरी स्मार्ट सिटी प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक ठेकों पर आधारित है। इनका आवंटन आईटी ऐक्ट के वैधानिक दायरे में किया गया है लेकिन ठेकों के दस्तावेजों और सबूतों पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है।

पिछले साल केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से अगले पांच साल में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की थी। हालांकि सरकारी बयान और शहरी विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों में इसके प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए कानूनी ढांचे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। शहरी नियोजन एवं विधि विशेषज्ञ इन शहरों के प्रबंधन के लिए विधायी ढांचे में व्यापक बदलाव के बजाय मौजूदा नगरपालिका एवं राज्य कानूनों में संशोधन करने और उसे मजबूत बनाने के पक्ष में हैं। दिशानिर्देशों में स्मार्ट सिटी के प्रमुख बुनियादी ढांचे में शहर के भीतर परिवहन, बिजली-पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, आवास, ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और स्थिरता शामिल हैं। इन सब को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की शक्तियों से लैस करने की योजना है।

ग्रांट थॉर्नटन इंडिया की निदेशक जे पद्म प्रिया का कहना है कि स्मार्ट सिटी के विकास में शामिल उप क्षेत्रों की संख्या पर गौर करने से लगता है कि कोई विशेष कानून को लाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक तरीका यह हो सकता है कि शहर की परिकल्पना, स्मार्ट सिटी योजना और कार्यान्वयन ढांचे के लिहाज से हरेक कानून में संशोधन किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रमुख बुनियादी ढांचा सेवाओं की आपूर्ति और प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल के मद्देनजर स्मार्ट सिटी में सृजित होने वाले नागरिक डेटा में जबरदस्त वृद्धि देखी जाएगी। निशीथ देसाई एसोसिएट्स के पार्टनर वैभव पारिख का कहना है कि स्मार्ट सिटी में सृजित होने वाले नागरिक डेटा की सुरक्षा के लिए मौजूदा आईटी कानून पर्याप्त नहीं होंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के आईटी प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध गतिविधियों की निगरानी करने की भी जरूरत होगी। साइबर कानून के विशेषज्ञ एवं सर्वोच्च न्यायालय के वकील पवन दुग्गल का कहना है कि स्मार्ट सिटी इको सिस्टम में इस प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए उचित वैधानिक ढांचा तैयार करने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति पर अमल करता है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी स्मार्ट सिटी प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक ठेकों पर आधारित है। इनका आवंटन आईटी ऐक्ट के वैधानिक दायरे में किया गया है लेकिन ठेकों के दस्तावेजों और सबूतों पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है। इसी प्रकार स्मार्ट गवर्नेंस संबंधी कोई भी पहल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के मानदंडों पर आधारित और कानून के दायरे में होनी चाहिए। किसी स्मार्ट सिटी परियोजना का परिचालन ढांचा कंपनी कानून द्वारा निर्देशित है। इसके तहत विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जो कंपनी कानून के तहत पंजीकृत होगी।

एसपीवी को स्मार्ट सिटी के विकास के लिए योजना बनाने, मूल्यांकन करने, मंजूरी देने, रकम जारी करने और लागू करने के अलावा प्रबंधन, परिचालन, निगरानी और आकलन की जिमेदारी दी गई है। शहर के स्तर पर स्थापित विशेष उद्देशीय कंपनी के प्रवर्तकों में राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश और स्थानीय शहरी निकाय शामिल होंगे और उसमें दोनों की शेयर हिस्सेदारी (50:50) बराबर होगी।

विधि एवं शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा शहरी स्थानीय निकायों को अपने राजस्व के स्रोत बढ़ाने की जरूरत है ताकि स्मार्ट सिटी प्रणाली के तहत विभिन्न हितधारकों के प्रबंधन में आसानी हो सके। इसके लिए मौजूदा नगरपालिका एवं नगर निगम कानूनों में संशोधन करना जरूरी है। पद्म प्रिया ने कहा, 'संपत्ति कर, किराये पर नियंत्रण, लाइसेंस, उपयोगिता शुल्क आदि विभिन्न कानूनों की संबंधित धाराओं में संशोधन के बाद ही प्रणाली में किसी भी तरह का बदलाव लाया जा सकता है।' स्मार्ट सिटी प्रणाली में तुरंत फैसले लेने की सुविधा के लिए विशेष उद्देशीय कंपनी के अधिकारियों और स्थानीय निकायों को अतिरिक्त शक्तियां देने की जरूरत होगी। इसके लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही अधिकांश शहरों के मौजूदा नियामकीय ढांचे के तहत एक ही सरकारी एजेंसी नियामक, सेवा प्रदाता और नीति नियंता की भूमिका निभाती है। पद्म प्रिया ने कहा, 'स्मार्ट सिटी में बेहतर कुशलता, गवर्नेंस और स्थिरता लाने के लिए स्वामित्व, नियमन और सेवा प्रावधानों को अलग करने की जरूरत है।' इसके लिए कानूनी और नियामकीय ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी नवीनीकरण योजना (नए सिरे से विकास) अथवा शहर के विस्तार (नए विकास) के जरिये मौजूदा बुनियादी ढांचे को 'स्मार्ट' बनाने पर जोर दिया गया है। स्मार्ट समाधानों के इस्तेमाल के लिए पूरे शहर में गतिविधियां हो सकती हैं अथवा उसके दायरे में शहर का अधिकांश भाग हो सकता है। शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए मौजूदा शहरी नियोजन कानूनों एवं विधानों (भूमि के इस्तेमाल को योजना और भवन संबंधी कायदे कानून सहित) में बदलाव करने की जरूरत है।

स्मार्ट सिटी में अधिकांश परियोजनाओं का संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिये की जा रही हैं। ऐसे में नागरिक आंकड़ों तक पहुंच और मौजूदा कानूनों के तहत उसको सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। पद्म प्रिया ने कहा कि फिलहाल यह किसी को नहीं मालूम है कि वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे में रहेंगे अथवा नहीं।

जब दवा ही बढ़ाने लगे मर्ज

प्लास्टिक या पेट बोतलों में भरी गई दवाओं में दूषित करने वाले पदार्थ पाए गए हैं। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित पंचाट से जो कहा, उसके विपरीत दवा तकनीक सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने सिफारिश की है कि दवाओं को प्लास्टिक की बोतलों में पैक करने पर रोक लगाई जाए और खासतौर से बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे संवेदनशील तबकों के लिए बनने वाली दवाओं के मामले में विशेषकर इसे लागू किया जाए।

इस साल मार्च में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित पंचाट से जो कहा था उसके उलट देश में दवाओं की शीर्ष वैधानिक संस्था दवा तकनीक सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने आंतरिक स्तर पर एक आधिकारिक अध्ययन को मंजूरी दी, जिसमें खुलासा हुआ कि प्लास्टिक का पेट (पॉलिएथिलीन टेरेफैथलेट) बोतलों में भरी गई दवाओं में दूषित करने वाले पदार्थ पाए गए हैं। साथ ही मंत्रालय ने पंचाट से जो कहा, उसके विपरीत डीटीएबी ने सिफारिश की है कि दवाओं को प्लास्टिक की बोतलों में पैक करने पर रोक लगाई जाए और खासतौर से बच्चों और गर्भवती महिलाओं जैसे संवेदनशील तबकों के लिए बनने वाली दवाओं के मामले में विशेषकर इसे लागू किया जाए।

यह अध्ययन स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएचऐंडपीएच) द्वारा कराया गया। इसमें पाया गया कि जिन पांच तरल दवाओं के नमूने जांचे गए, उनमें सीसा, एंटीमनी, कैडमियम और क्रोमियम जैसी चार भारी धातुओं का संक्रमण पाया गया। यहां तक कि कमरे के सामान्य तापमान में भी यह संक्रमण देखा गया। संस्थान ने निष्कर्ष पेश किया है कि ऐसे तत्वों के सेवन का कोई 'सुरक्षित स्तर' नहीं हो सकता। पानी अगर आप जाने-अनजाने में इनका सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी है। संस्थान ने कहा कि इसमें कोई सुरक्षित स्तर पर विचार करना आग से खेलने जैसा है।

जिन पांच ब्रांडों का परीक्षण किया गया है, उन पर हुए शोध में पाया गया कि कमरे के तापमान में वृद्धि के साथ ही एंटीमनी, कैडमियम और क्रोमियम जैसे तत्वों का संक्रमण भी बढ़ गया। हालांकि कमरे के तापमान में वृद्धि के साथ केवल तीन ब्रांडों में ही सीसे का संक्रमण अधिक बढ़ा। जहां तक भारी धातुओं का सवाल है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का मत है कि सीसे का कोई भी संपर्क किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता।

प्रयोगशाला में जिन उत्पादों को प्लास्टिक बोतलों का परीक्षण हुआ, उनमें जूस, पेय पदार्थ, एल्कोहॉल और तेल की उन बोतलों का भी जायजा लिया गया, जिनकी पैकिंग प्लास्टिक या पेट बोतलों में हुई थी। मगर इन उत्पादों से जुड़े नतीजे अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। संस्थान की शुरुआती रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया स्वरूप स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त, 2015 में पूर्व सचिव एमके भान की अगुआई में एक अस्थायी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भान समिति ने संस्थान के प्रयोगशाला परिणामों और निष्कर्षों में खामियां पाईं।

साथ ही साथ एनजीटी के समक्ष चल रहे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च में केवल भान समिति की रिपोर्ट पेश की, जिसमें खुद सरकार के आंतरिक प्रयोगशाला परीक्षणों पर ही सवाल उठाए गए। प्रयोगशाला परीक्षणों के वास्तविक नतीजे पंचाट के समक्ष पेश नहीं किए गए थे। पेट और प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय भान समिति ने सिफारिश की थी कि जब तक ये मानक न बन जाएं, तब तक उनके प्रयोग को जारी रखा जा सकता है। इसमें स्वीकार किया गया कि जिन अन्य देशों में दवा उत्पादों को पेट पैकेजिंग को मंजूरी है, उसके उलट भारत में सुरक्षित प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए कोई मानक नहीं हैं। मगर मई, 2016 में सरकार को वैधानिक संस्था डीटीएबी के विशेषज्ञों की फिर बैठक हुई। ये विशेषज्ञ नियमित रूप से महीने में एक बार बैठक करते हैं।

उन्होंने भान समिति के निष्कर्षों को नजरअंदाज करते हुए आईआईएचऐंडपीएच के प्रयोगशाला परीक्षणों को ही मान्यता दी। प्रयोगशाला परीक्षणों के प्रभाव पर कायम रहते हुए उसके निष्कर्षों से सहमति जताते हुए डीटीएबी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से सिफारिश की है कि वे तरल दवाओं के प्लास्टिक बोतलों में पैकिंग पर प्रतिबंध को लेकर नियम बनाएं। इसमें खासतौर से बच्चों और महिलाओं की दवाओं पर विशेषकर गौर करने की सिफारिश की गई है। इस पूरे मामले में भान समिति की रिपोर्ट और संस्थान के प्रयोगशाला परीक्षणों में विरोधाभास नजर आते हैं।

> एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य सेवा करना लाखों जप ध्यान करने से कहीं बढ़कर है।
>
> -स्वामी विवेकानंद

पाठकों के लिए

विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों पर सभी प्रबुद्ध पाठकों के लेख, लघु कथाएं तथा कविताएं आमंत्रित हैं।

हमारा पता

संपादक,
बदलती राहें, गुंजन भवन, तपोवन रोड चौपीओ सिद्धबाड़ी, धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि.प्र.)-176057
Mail : badaltirahein@gmail.com

क्रूर विश्वासघात

एचआईवी पीड़ित की आत्मकथा

गतांक से आगे...

उनका कहना था कि एक बार तो हम तुम्हें लगभग खो ही चुके हैं अब और नहीं। इस बीच काँपते हुए दिल से हमने दोनों बेटों का ब्लड टेस्ट करवाया और भगवान की दया से वे दोनों स्वस्थ निकले, आखिरकार लगभग छह माह बाद मैंने सुनीता को इस सच्चाई से अवगत करवाया। मैंने उसे इस रोग के बारे में, इसके प्राणघातक प्रभाव के बारे में, अपने अक्षम्य अपराध के बारे में, अपनी अवस्था और उसके रोगी होने की गंभीर संभावना के बारे में कहा। वह काफी देर विस्फारित नेत्रों से मुझे देखती रही। उसकी आँखों में घायल हिरनी जैसे भाव मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। पता नहीं वह किस बात से ज्यादा आहत थी मेरे विश्वासघात से या अपनी बीमारी से, लेकिन मेरे पास इतना मनोबल शेष नहीं था कि उसे बाहों में भर कर ढांढस बंधा पाता। मेरे कहीं भीतर पहले कहीं पढ़ी हुई एक कविता सिर पटक रही थी.

आँखें सूखीं
चेहरा पस्त था
वजूद आँसू की एक जर्बज़दा बूंद
मैंने रोने की तमाम वजहें दीं थीं
तमाम वजहें दीं थीं बिखर जाने की
पर वह थी कि अब भी
जब्तशुदा
बहुत लाचार
बहुत नाकाम
बदन कँपता ही रहा
सदियों से बेहिस आँधियों के थपेड़ों में
माथे पर फेरा दो चार बार बेबस हाथ
होंठ खोले और बंद किए
और मैं बस इतना ही कह पाया
इससे अच्छा तो रो लो एक बार।
वह नहीं रोयी और उठ कर चली गयी
वहाँ से उसी वक़्त।

अगले एक महीने उसने मुझसे बात नहीं की, चुपचाप एक मशीन की तरह घर के काम करती रहती थी, मेरी बातों का जवाब भी नहीं देती थी। इसी बीच उसका एचआईवी की जाँच के लिए रक्त परीक्षण हुआ और वह पॉजिटिव निकली। मुझे तो कबसे मालूम था कि यही होना है पर उस दिन मैं न जाने कितने घंटे कमरा बंद किए रोता रहा। सुनीता का सीडी 4 काउंट अच्छा आने की वजह से उसको दवाई शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल अच्छे खान-पान रहन-सहन अपनाने और चिंता-तनाव से दूर रहने की ताकीद की गयी। दिन बीते, उसकी चुप्पी थोड़ी टूटी तो एक दिन मैंने उसे समझाया कि जो होना था हो चुका। अपराध इतना बड़ा था मेरा कि जिसकी कोई सज़ा या माफी नहीं हो सकती थी, फिर भी उससे दिल से माफी माँगी मैंने। और कहा कि जीवन नए सिरे से शुरू करते हैं, आओ मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ और तुम मेरा, ऐसे ही हम लंबा और स्वस्थ जीवन जी लेंगे, मिल-जुल कर सब परेशानियाँ बाँट लेंगे और बच्चों को पढ़ा-लिखा कर जिम्मेदार बना देंगे फिर चाहे जो हो। वह मान गयी, होना तो यही था, पत्नियाँ कहाँ ज्यादा दिन नाराज़ रहतीं हैं पतियों से, पतियों की बात दीगर है एचआईवी के मामले में।

गृहस्थी की गाड़ी फिर से पटरी पर चल पड़ी। लेकिन नयी समस्या यह थी कि लुधियाना की नौकरी और प्राइवेट ट्यूशन से होने वाली आमदनी अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि माता-पिता अब वहाँ वापस भेजना नहीं चाहते थे। पिताजी तो ने साफ-साफ कह दिया था कि, भले ही तू मेरी पूरी पैंशन ले ले पर मैं अब अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। सो आमदनी कुछ नहीं थी। हम हिमाचल के एक कस्बे में रहते हैं तो मैंने वहीं के सरकारी अस्पताल के एक्सरे विभाग मे डार्क रूम ऑपरेटर की नौकरी कर ली। बमुश्किल खर्चा चलता था, लेकिन बाद में वह पोस्ट ही खत्म कर दी गयी। 2011 से 2013 तक गुंजन ऑर्गेनाइज़ेशन के श्री संदीप परमार के साथ उनके कम्यूनिटी केयर सेंटर से जुड़ा रहा, तब अचानक जीवन में कई बदलाव आए। इस बीमारी और इसके रोगियों को नए नज़रिये से देखना शुरू किया। आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा। इसी बीमारी से ग्रस्त दूसरे लोगों की सहायता करना बहुत आत्मसंतोष का कारण बना। मेरे शिक्षित होने की वजह से एचआईवी के इलाज और बचाव से संबन्धित जानकारी समझने और दूसरों को समझाने में आसानी होती थी। मेरे लिए बहुत अचरज का मौका था जब मैंने पाया कि संदीप जी कभी मेरे सहपाठी रहे थे। दुख तो हुआ अपनी स्थिति पर लेकिन फिर मेहनत और निष्ठा से काम करना शुरू कर दिया।

2013 में सेक्स वर्कर्स के साथ काम करने वाली एक एनजीओ टी आई पारा से जुड़ गया। वजह आर्थिक भी थी, उनके साथ काम करते हुए सेक्स वर्कर्स की विवशताओं और अभावों को करीब से महसूस किया, बहुत शिद्दत से। हम आम लोग उनके बारे में ऐसा सोचते जरूर हैं पर वे कोई अजूबा नहीं होतीं हैं। बहुत लाचार, गरीब, कमजोर और बीमार इंसान ही होती हैं बस, जिनके पास इस रसातल से उबरने का कोई तरीका नहीं है।

2015 में फिर संदीप परमार जी के साथ गुंजन ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ गया। ज़िंदगी मज़े में चल रही है। माता-पिता भी साथ हैं आउटरीच वर्कर का काम है मेरा। नए और पुराने रोगियों की काउन्सलिंग करता हूँ, जो एचआईवी के इलाज और रोकथाम के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए मरीजों के परीक्षण से लेकर ढांढ़स बंधाने, उनके लिए यात्रा भत्ते के फॉर्म भरना, सरकारी रियायतों और सुविधाओं का न सिर्फ ब्यौरा देना बल्कि उन्हें प्राप्त करने में पीड़ितों की सहायता करनाए दवा लेने का सही तरीका समझाना और नियमित दवाई लेने के लिए फॉलोअप करते रहना जैसे ढेरों काम हमारी ही जिम्मेदारी है जिसे हम खुशी खुशी निभाते हैं। सरकारी महकमों में गरीब एचआईवी पीड़ितों के साथ बहुत भेदभाव व दुर्व्यवहार होता है। हम गुंजन ऑर्गेनाइज़ेशन के जरिये उस भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करते हैं।

हमारे दोनों बच्चे असाधारण रूप से प्रतिभावान हैं, परीक्षा में 97.98 प्रतिशत अंक लाने वाले बच्चे। एक ग्यारहवीं और एक दसवीं का छात्र है। उन्होंने एक बार पूछा मुझसे कि मैं रोज़ किस चीज़ की दवा खाता हूँ तो मैंने बता दिया, इससे उनकी जिज्ञासा शांत हो गयी। अपने ही गाँव के कम्यूनिटी केयर सेंटर में काम करता हूँ लेकिन गाँव में किसी को मेरी बीमारी के बारे में पता नहीं है, हालाँकि सेंटर में सब जानते हैं।

इस स्तर की प्रतिबद्धता और गोपनीयता का पालन करते हैं हम गुंजन ऑर्गेनाइज़ेशन में। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य व वजन ठीक है अब मेरा। रोज़ाना मेडिटेशन करता हूँ भैंस के लिए 35-40 किलो चारा खुद ही काट कर ढोता हूँ दूर से। सुनीता बहुत स्वस्थ है, उसको तो एआरटी शुरू करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी अब तक। घर के पूरे काम खुद करती है, और इस जीवन की इस विसंगति से पूरा समझौता कर चुकी है। लेकिन दूसरे एचआईवी पॉजिटिव दंपतियों की तरह हम अब भी सुरक्षित संबंध ही बनाते हैं क्योंकि वायरस स्ट्रेन तो सबके शरीर में अलग तरह की होती ही है वायरस लोड भी कम ज्यादा होता है, कई बार दो तरह के विषाणुओं के संयोजन से स्थिति लाइलाज हो जाती है, अतः यह जानकारी एचआईवी पीड़ित पति पत्नी के लिए बहुत ज़रूरी है।

परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप

एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और उसे पिंजरे में रख लिया। संत ने कई बार शिष्य से कहा कि इसे यों कैद न करो। परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है।

किन्तु शिष्य अपने बालसुलभ कौतूहल को न रोक सका और उसे अर्थात् तोते को पिंजरे में बंद करके ही माना।

तब संत ने सोचा कि तोते को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्होंने पिंजरा अपनी कुटिया में मंगवा लिया और तोते को नित्य ही सिखाने लगे- 'पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ।'

कुछ दिन में तोते को वाक्य भली भांति रट गया। तब एक दिन सफाई करते समय भूल से पिंजरा खुला रह गया। संत कुटिया में आए तो देखा कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से घूम रहा है। साथ ही तोता ऊंचे स्वर में कह भी कह रहा है कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ।

संत को आता देख वह पुनः पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ बड़े जोर-जोर से दुहराने लगा। संत को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। साथ ही दुःख भी।

वे सोचते रहे कि इसने केवल शब्द को ही याद किया। यदि यह इसका अर्थ भी जानता होता- तो यह इस समय इस पिंजरे से स्वतंत्र हो गया होता।

•• कहानी का सार ••

हम सब भी ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें सीखते और करते तो हैं किन्तु उनका मर्म नहीं समझ पाते और उचित समय तथा अवसर प्राप्त होने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते और जहाँ के तहाँ रह जाते हैं।

थोड़ा सा अभ्यास और बन सकते हैं सफल वक्ता

पब्लिक स्पीकिंग एक कला है, जिसमें कुशल लोग जीवन में भी काफी तरक्की कर जाते हैं। नौकरी की दुनिया हो या बिजनेस या फिर अन्य कोई भी फील्ड, तरक्की करने के लिए मंच पर बोलने की कला आनी चाहिए। आप देखते होंगे कि आज के दौर में सफल राजनेता हों या कॉरपोरेट हैड, वे बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। थोड़े अभ्यास से आप भी बन सकते हैं सफल वक्ता।

डर को करें दूर

अक्सर देखा जाता है कि इंट्रोवर्ट लोगों को जब ऑफिस में या किसी प्रोग्राम में लोगों की भीड़ के सामने बोलना पड़ता है, तो वे कांपने लगते हैं और उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको इस मामले में मन में आने वाले किसी भी तरह के डर को दूर करना होगा और इस बात पर ध्यान देना होगा कि प्रभावी तरीके से भाषण कैसे दिया जाए। यह जरूरी नहीं कि आप किसी प्रभावी वक्ता की तरह भाषण दे सकते हों लेकिन आपको आत्मविश्वास के साथ अपनी बात प्रभावी तरीके से कहने की कला आनी चाहिए। जो लोग मंच पर बहुत प्रभावी तरीके से भाषण दे लेते हैं, वे कोई सुपरह्यूमन नहीं होते। वे तो बस, मेहनती लोग होते हैं और यह जानते हैं कि अपनी बात पर जोर कैसे दिया जाए। इसलिए सारी आशंकाओं को दूर करते हुए सबसे पहले यह भरोसा पैदा करें कि आप यह कर सकते हैं।

तैयारी है महत्वपूर्ण

अपने भाषण की तैयारी इस तरह करें कि यह तार्किक प्रवाह वाला हो। उसे कहानियों, उदाहरणों आदि से ज्यादा से ज्यादा जीवंत बनाएं। तैयारी के लिए आप महान और अच्छे वक्ताओं के वीडियो देखें। स्पीच तैयार करने के बाद घर में ही जोर-जोर से बोलते हुए अभ्यास करें। ऐसा तब तक करें, जब तक कि आप इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि अब आप इसे प्रवाहमय तरीके से और आराम से लोगों के सामने बोल सकते हैं।

अपने लुक पर करें गौर

यह ध्यान रहे कि भाषण देने के लिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सबसे पहला योगदान आपके बाहरी लुक का होता है। जब आप अच्छे दिखेंगे, तो अंदर से भी अच्छा महसूस करेंगे। आपके कपड़े फॉर्मल हों या कैजुअल, वे आरामदायक होने चाहिए।

देखें सकारात्मक पक्ष

इस बात पर विचार करें कि एक पब्लिक स्पीकर के रूप में आपके मजबूत और कमजोर पक्ष क्या हैं। आप जैसे हैं, उसी में बेहतर करने की कोशिश करें, अपने को वह न बनाएं जो आप नहीं हैं। जो आप बेहतर कर सकते हैं, उसी पर फोकस करें। आपके अंदर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है, आप कहानियां सुनाने में माहिर हो सकते हैं या आप जटिल विचारों को टुकड़ों-टुकड़ों में बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। खूबी कोई भी हो, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए।

श्रोताओं का रखें ध्यान

इस बात पर अच्छी तरह से विचार करें कि आपके श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनकी कौन-सी समस्या सुलझा सकते हैं? उनकी कौन-सी जरूरत पूरी कर सकते हैं? इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह सब कुछ अपने भाषण में रखने की कोशिश करें। आपके श्रोता आपका भाषण क्यों सुनें? इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए। शुरुआत में ही अपने भाषण को उनसे जोड़ने का प्रयास करें।

जानकारी है जरूरी

आप यदि कुछ जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में बोल नहीं सकते। इसलिए टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अलग-अलग स्रोतों से जानकारी हासिल करें। इससे आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा और आप अपनी बात को बुद्धिमता से रख पाएंगे।

मुस्कराना न भूलें

मुस्कुराहट के साथ भाषण की शुरुआत करने से व्यक्ति खुश और सहज महसूस करता है। इसलिए भाषण से पहले एक बड़ी-सी स्माइल दें। कई लोग इसके जवाब में मुस्कुराएंगे, जिससे आप सहज होकर आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे।

सिगरेट के धुएं का संपर्क भी है खतरनाक

धूम्रपान करना ही नहीं, बल्कि तंबाकू के धुएं के संपर्क में आना भी बेहद खतरनाक है। ग्लोबल एडल्ट टौबैको सर्वे गेट्स इंडिया 2010 के हालिया आंकड़ों के अनुसार 52.3 फीसदी भारतीय अपने ही घर में, 29.9 फीसदी कार्य स्थल पर और 29 फीसदी सार्वजनिक स्थानों पर सैकेंड हैंड स्मोकिंग के संपर्क में आते हैं। तंबाकू के धुएं में 7000 से ज्यादा रसायन होते हैं, जिनमें से लगभग 70 रसायन कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। तंबाकू के धुएं के अप्रत्यक्ष संपर्क आना भी खुद धूम्रपान करने जितना ही खतरनाक है।

धूम्रपान करने वालों और उनके करीब रहने वालों की सेहत पर इससे पड़ने वाले बुरे प्रभावों को देखते हुए सख्त कानूनों को लागू कराने के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, तंबाकू की वजह से दुनिया में हर साल 60 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 6 लाख वैसे लोग भी शामिल हैं, जो खुद धूम्रपान नहीं करते, लेकिन इसके संपर्क में आ जाते हैं।

तंबाकू से निकले धुएं के संपर्क में आने वाले लोगों को पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। जो लोग इस माहौल में सांस लेते हैं, वे धूम्रपान करने वालों के समान ही निकोटिन और विषैले रसायन लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक हैं। पैसिव स्मोकिंग गंभीर समस्या बनती जा रही है और इसका हल जरूरी है।

शोध के मुताबिक, जो लोग 35 से 39 की उम्र में धूम्रपान छोड़ देते हैं, उनकी उम्र 6 से 9 साल बढ़ जाती है। इसे छोड़ने से फेफड़ों और गले के कैंसर, अस्थमा, सीओपीडी, कैट्रेक्ट और मसूढ़ों की बीमारियों के साथ साथ दिल के रोगों का खतरा टल जाता है।

यह है दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल फोन

लंदन। स्मार्टफोन के दिवानों के लिए एक खास तरह का फोन तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह फोन पूरी दुनिया में अभी तक का सबसे कीमती फोन है। इस बेशकीमती फोन को इजरायल की स्टार्ट अप कंपनी सिरिन ने तैयार किया है।

सिरिन ने मंगलवार को लंदन में एक समारोह में अधिकारिक तौर पर अपने फोन का अनावरण किया है।

कंपनी ने फोन की कीमत 14,000 डॉलर तय की है, जो कि भारत में तकरीबन 9 लाख रुपये से अधिक का होगा। कंपनी का दावा है कि इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन में 256 बिट चिप से चिप एनक्रिप्शन की खूबी है जो कि सेना द्वारा सेफ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस फोन को स्मार्टफोन की दुनिया के रोल्स रॉयस से नवाजा गया है। सोलरिन नाम का यह स्मार्टफोन डिवाइस शारीरिक सुरक्षा से और सुरक्षित हो जाता है। यानि यह फोन तभी स्विच ऑन होगा जब फोन का ऑनर इसके पिछले हिस्से को स्पर्श करेगा। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर, कहीं बेहतर वाई-फाई कनेक्टिविटी, 23.8 एमपी रियर कैमरा और 5.5 इंच आईपीएस एलईडी 2के रिजोल्यूशन स्क्रीन की खासियत इसे अन्य स्मार्टफोन से अलग और खास बनाती है।

साइबर अटैक के डर से मुक्ति

सिरिन लैब के वाइस प्रेसिडेंट फेडरिक ने दावा किया है कि इस फोन को इस तरह से तैयार किया गया है कि फोन साइबर अपराधियों की पहुंच से दूर रहेगा। साइबर अपराधी किसी भी तरीके से फोन पर अटैक नहीं कर सकेंगे। यह फोन उन बड़े बिजनेसमैन के लिए उपयोगी होगा जिनकी लगभग सारी डीलिंग फोन पर ही होती है।

युवती के शरीर में मिलीं चार किडनियां

बीजिंग। आमतौर पर लोगों में दो किडनी पाई जाती है। लेकिन चीन में एक विचित्र तरह का मामला सामने आया है। 17 साल की किशोरी में दो की जगह चार किडनियां पाई गई हैं। इस दुर्लभ विकार का पता उस समय चला जब पीठ दर्द के चलते उसकी अस्पताल में जांच की गई। सरकारी अखबार पीपल्स डेली के अनुसार, किशोरावस्था में पहुंचने पर शीयोलिन को स्वास्थ्य की दिक्कतें होने लगीं। उसकी पीठ के निचले हिस्से में अक्सर दर्द रहता था। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उसके शरीर में चार किडनियां हैं। इस मामले से जुड़े एक डॉक्टर ने कहा कि यह रीनल ड्यूप्लेक्स मॉन्स्ट्रोसिटी नाम की बीमारी है। ऐसी समस्या आमतौर पर लोगों में नहीं होती है। अतिरिक्त किडनियों का ज्यादातर कोई उपयोग नहीं होता है क्योंकि ये नियमित तौर पर काम करने वाली दो किडनियों से जुड़ी रहती हैं। डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी में शीयोलिन की अतिरिक्त किडनियां निकाल दी गई हैं। अब वह स्वस्थ्य हो रही है।

संपादक व प्रकाशक संदीप पठानिया द्वारा वीपीओ सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा-176057, हिंद से प्रकाशित व संपादित और इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस, गुरुद्वारा रोड धर्मशाला से मुद्रित। फोन नंबर : 01892-235315 Mail : badaltirahain@gmail.com